राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

कमांक: –4(3)(3)स्वीप / निर्वा / PwDs/2018/16301 जयपुर,दिनांक:–20/09/2018

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी
निर्वाचन विभाग राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय:–दिव्यांग मतदाताओं (PwD) एवं सुगम निर्वाचन (Accessible elections) के संबंध में।
प्रसंग:–विभाग का पत्र कमांक: एफ.4(3)(3)स्वीप / निर्वा / PwDs / 2018 / 4285 दिंनाक–08 / 08 / 2018।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2018 भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार Accessible elections वर्ष के रूप में मनाया जाना है एवं इसके अन्तर्गत दिव्यांगजनों की निर्वाचन प्रक्रिया में अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित की जानी है। उपर्युक्त संदर्भित पत्रांक में दिव्यांग (PwD) मतदाताओं हेतु विभिन्न गतिविधियों को कराने हेतु निर्देश दिये गये थे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 17 व 18 सितम्बर, 2018 को जयपुर में हुई समीक्षा बैठक एवं इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेशों के क्रम में निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:–

1. दिव्यांगजनों की निर्वाचन में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में **जिला स्तरीय कमेटी** का गठन तुरन्त किया जावे जिसमें सदस्य सचिव की भूमिका मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (स्वीप नोडल अधिकारी) द्वारा निभाई जायेगी। समिति के अन्य सदस्य पत्रांक 4285 दिनांक 08.08.2018 के अनुसार रहेगें।

2. प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय एवं निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) कार्यालय पर **दिव्यांग (PwD) कार्डिनेटर** की नियुक्ति तुरन्त की जावे।

3. जिला निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय स्तर पर **Accessible मास्टर ट्रेनर** की नियुक्ति की जानी है।

4. प्रत्येक मतदान केन्द्र पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैम्प की व्यवस्था समय पूर्व आवश्यक रूप से कर ली जावे। अधिकांश मतदान केन्द्रों पर पूर्व में ही विभिन्न योजनाओं / विभागों द्वारा रैम्प का निर्माण किया जा चुका है। शेष मतदान केन्द्रों पर यह व्यवस्था शत–प्रतिशत रूप से सुनिश्चित की जावे।

www.rajteachers.com

5. मतदाता सूची में दिव्यांग मतदाताओं के सम्बन्ध में मैपिंग/फ्लेगिंग (Flagging) आवश्यक रूप से करली जावे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार कुल सर्वेयुक्त 18 वर्ष से अधिक उम्र के दिव्यांगजनो की संख्या में से 15 सितम्बर तक केवल 50 प्रतिशत दिव्यांग मतदाताओं की फ्लेगिंग की गई है जो अपर्याप्त है। अतः आवश्यक रूप से फलेगिंग कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।

6. दिनांक 01.01.2018 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले दिव्यांगजनों का मतदाता सूची में नाम पंजीयन कर लिया जावे एवं यह सुनिश्चित किया जावे कि किसी भी दिव्यांग मतदाता का नाम मतदाता सूची में जोड़ने से शेष नहीं रह गया हो।

7. स्वीप (SVEEP) के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में से दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशिष्ट रूप से गतिविधियां सम्मिलित की जावे।

   राज्य स्तर पर निर्वाचन विभाग द्वारा दो ऑडियो-वीडियो क्लिप तैयार की गई है जिसमें Hearing Impaired हेतु Sign Language में निर्वाचन प्रक्रिया एवं EVM-VVPAT के बारे में समझाया गया है तथा दूसरी क्लिप में स्टेट आईकॉन दिव्यांग खिलाड़ी श्री देवेन्द्र झाझड़िया द्वारा मतदाताओं को मतदान हेतु प्रेरित करने वाला वीडियो है। उपर्युक्त दोनों सामग्री आपको ई-मेल के माध्यम सें भिजवाई जा चुकी है। इस सामग्री का विभिन्न प्रचार साधनों के माध्यम से प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित किया जावे।

8. विभिन्न विभागों जैसे – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग तथा विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से दिव्यांगजनों में जागरूकता हेतु आवश्यक गतिविधियां की जावे।

9. निर्वाचन प्रक्रिया से जुडे कार्मिकों को दिए जा रहे **प्रशिक्षण** में दिव्यांग मतदाताओं की आवश्यकता के सम्बन्ध में Sensitisation किया जाना भी सुनिश्चित किया जावे ।

10. मीडिया के विभिन्न माध्यमों जैसे – प्रिंट मीडिया, ईलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से दिव्यांगजनों को निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में अवगत कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।

11. EVM-VVPAT जागरूकता कार्यक्रमों में दिव्यांग मतदाताओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जावे।

12. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार (पत्रांक 11 जुलाई, 2018) Integrated Contact Centre की स्थापना करना सुनिश्चित किया जावे।

www.rajteachers.com

13. तकनिकी साधनों एवं मीडिया के माध्यम से दिव्यांजनों को जागरूक किया जा सकता है। जैसे– दिव्यांगजनों को एमएमएस के माध्यम से संदेश भेजना, मीडिया में विज्ञापन दिया जाना, इलेक्ट्रोनिक मीडिया में टॉक–शो आयोजित करना इत्यादि ।

14. मतदान केन्द्रों पर मतदान दिवस पर दिव्यांगजन मतदाताओ हेतु व्हील चेयर की व्यवस्था उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।

विधानसभा क्षेत्रवार एवं मतदान केन्द्र वार दिव्यांग मतदाताओं की संख्या की गणना कर व्हील चेयर उपलब्ध कराने हेतु विस्तृत व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

विभिन्न विभागों जैसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकरिता विभाग तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के माध्यम से मतदान दिवस को व्हील चेयर की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है।

15. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा **"दिव्यांग व्यक्तियों को सुविधाऐं प्रदान करने के सम्बन्ध में जारी अनुदेश की बुकलेट"** पत्र के साथ संलग्न कर लेख है कि उक्त निर्देशों की पालना करना सुनिश्चित किया जावे।

16. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम चुनाव, 2018 में Accessiblity Observers (पर्यवेक्षक) लगाये जाने के निर्देश दिये गये हैं जो निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सुगम निर्वाचन एवं दिव्यांग मतदाताओं की सुविधाओं बाबत पर्यवेक्षण करेंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

कमांक: 4(3)(3)स्वीप / निर्वा / PwDs/2018/ 6301 **जयपुर,दिनांकः–20/ 09 / 2018**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, अति. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. श्री अमिताभ कौशिक, अति. निदेशक (SAP), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,राजस्थान।
5. समस्त अधिकारीगण, निर्वाचन विभाग,राजस्थान।

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी

www.rajteachers.com